**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1830**
**दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**जेल सुधार**

**1830 श्री नारायण दास गुप्ता:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारतीय जेलों में पहले से ही उनकी क्षमता से अधिक कैदी हैं;**

**(ख) क्या सरकार विदेशों की तरह मुक्त जेलों की अवधारणा पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान जेलों में सुधारात्मक प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने, अवसंरचना में सुधार करने और दंड के बजाय पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है । 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार देश की जेलों में कुल उपलब्ध क्षमता 4,36, 266 के मुकाबले 5,73,220 कैदी बंद थे।

(ख): 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार देश के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 91 खुली जेलें थीं। हालाँकि, चूँकि "कारागार"/"उनके भीतर बंद व्यक्ति" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत "राज्य-सूची" का विषय है, कारागारों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में खुली जेलों के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

**राज्य सभा अता. प्र.सं. 1830 दिनांक 11.12.2024**

हालांकि, गृह मंत्रालय ने एक आदर्श कारागार मैन्युअल 2016 तैयार किया था और मई, 2016 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कारागार प्रशासन पर उनके मार्गदर्शन के लिए परिचालित किया था। आदर्श कारागार मैन्युअल 2016 में "खुली कारागारों" पर एक विशिष्ट अध्याय है, जिसमें खुले कारागारों की स्थापना और प्रशासन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में एक "आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम" भी तैयार किया था और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया था ताकि वे कारागार और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित मार्गदर्शन का उपयोग कर सकें। आदर्श अधिनियम में खुले और अर्ध-खुले सुधार संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का प्रावधान है।

(ग): चूंकि "कारागार" 'राज्य सूची' का विषय है, इसलिए यह प्राथमिक रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है कि वे सुधारात्मक प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाएं, बुनियादी ढांचे में सुधार करें और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जेलों में सज़ा के बजाय पुनर्वास को बढ़ावा दें। हालाँकि, गृह मंत्रालय भी समय-समय पर विभिन्न एडवाइजरीस जारी करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता कर रहा है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित आदर्श कारागार मैन्युअल में 'देखभाल और पुनर्वास', 'व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम', 'कैदियों का कल्याण', 'कैदियों की शिक्षा' आदि पर विशिष्ट अध्याय हैं। इन अध्यायों में निहित दिशानिर्देश राज्यों को कैदियों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि जेलों से रिहाई के बाद, परिवीक्षा/कल्याण अधिकारियों को प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक उनके मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए तथा उचित स्तर पर उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण की स्थिति की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए।

पिछले वर्ष गृह मंत्रालय द्वारा तैयार आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम में भी कैदियों के सुधार, पुनर्वास और समाज में एकीकरण के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें संस्थागत देखभाल के अभिन्न अंग के रूप में 'कारागारों के लिए कल्याण कार्यक्रम' और 'बाद की देखभाल और पुनर्वास सेवाओं' के भी प्रावधान हैं।

*******